(समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ)

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः– राजस्व / 2025–26 / 103 दिनांकः– 14/11/25

निविदा सूचना संख्या 01 / 2025–26

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा ''लवकुश स्टेडियम के पास पार्किंग'' पर 2 वर्ष की अवधि के लिए वाहन पार्किंग कार्य हेतु सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी, निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तो की सूचना वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in व www.udaipurmc.org पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारंभ तिथि 14.11.2025 अन्तिम तिथि 25.11.2025 तथा खुलने की तिथि 26.11.2025 है।

UBN No.- UNP2526SSOB00108

अभिषेक खन्ना (IAS)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र के उदयपुर संस्करण में प्रकाशित करवायें तथा कार्यादेश की प्रति ई–मेल आई.डी. revenuesec2015@gmail.com पर प्रेषित करवायें।
2. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत को भेज कर लेख है कि निगम वेबसाइट पर उक्त निविदा अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर निगम उदयपुर।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18787972

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम उदयपुर द्वारा निम्नलिखित स्थल पर वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं	पार्किंग स्थल	प्रारम्भिक बोली राशि(रू.)	निविदा प्रपत्र शुल्क (नोन रिफण्डेबल)	बोली प्रतिभूति राशि (प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष का 2 प्रतिशत)	निविदा अवधि
1	लवकुश स्टेडियम के पास पार्किंग	3,00,000/—	1000+180=1180/-	12,600/—	2 वर्ष

अतः उक्त स्थल पर वाहन पार्किंग के ठेके से लेने के इच्छुक संस्था/फर्म/एजेन्सी उक्त स्थल के लिये निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/— रूपये में नगर निगम कार्यालय अथवा https://sppp.rajasthan.gov.in व www.udaipurmc.org से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/— रूपये जमा होने की रसीद या डीडी आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा विक्रय दिनांक 14.11.2025 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 25.11.2025 को सायं 5.00 बजे तक रहेगा। बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम उदयपुर के नाम संलग्न करना होगा।

निविदा दिनांक 26.11.2025 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदा दिनांक 26.11.2025 को सांय 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें व अन्य जानकारी निगम की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है, जो निविदादाता को मान्य होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

अभिषेक खन्ना (IAS)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18787972

नगर निगम वाहन पार्किंग स्थल पर पार्किंग व्यवस्था की शर्ते

1. निगम द्वारा दर्शाई गई प्रारंभिक बोली राशि सांकेतिक है उपयुक्त पाए जाने पर अधिकतम दर देने वाले बिडर की दर अनुमोदित की जाएगी।
2. पार्किंग स्थल पर रखे गये सभी वाहनों की सुरक्षा का दायित्व सफल बिडर का रहेगा। पार्किंग स्थल में वाहन चोरी या अन्य दुर्घटना एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी तथा उसके लिये यदि कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति देय हुआ तो वह पूर्णतः सफल बिडर का दायित्व होगा।
3. पार्किंग स्थलों पर सफल बिडर द्वारा निम्नलिखित दर से राशि वसूल की जा सकेगीः–

साईकिल	2/– रू.
मोटर साईकिल, स्कूटर, मोपेड	5/– रू.
कार, जीप	10/– रू.
मिनी बस, बस	30/– रू.

नोटः– उपरोक्त दरें प्रतिघंटे के लिये मान्य होगी।

सफल बिडर द्वारा स्थाई रूप से वाहन रखने वालों के लिए मासिक पास की व्यवस्था करनी होगी। यदि सफल बिडर द्वारा किसी व्यक्ति के दो पहिया एवं चार पहिया वाहन रखने के मासिक पास जारी किये जाते है तो वाहन वार पृथक–पृथक रसीदें जारी करनी होगी। मासिक पास का शुल्क निम्नानुसार देय होगा :–

मोटर साईकल, स्कूटर, मोपेड आदि	1000 रू. प्रतिमाह
कार, जीप आदि	2000 रू. प्रतिमाह
मिनी बस, बस/टेम्पो ट्रेवलर	3000 रू. प्रतिमाह

4. पार्किंग कार्य का कार्यादेश अधिकतम दर देने वाले बिडर को स्वीकृत किया जाएगा।
5. बिड खोले जाने के पश्चात् अधिकतम दर देने वाले बिडर को दर अनुमोदन हेतु पत्र जारी किया जाएगा। इस दर अनुमोदन के पत्र के जारी होने के 7 दिवस के भीतर अनुबन्ध निष्पादन हेतु नियमानुसार स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, दोनों वर्ष की कुल राशि का 10 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रुप में तथा स्वीकृत ठेका राशि एक मुश्त जमा कराने के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जाएगा। कार्यादेश में वर्णित तिथि से कार्यारंभ किया जाएगा।
6. द्वितीय वर्ष की राशि की गणना प्रथम वर्ष की अनुमोदित दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये की जाएगी। उदाहरणार्थ यदि प्रथम वर्ष की ठेका राशि 3,00,000/– रूपये है तो द्वितीय वर्ष की ठेका राशि 3,30,000/– रूपये होगी। द्वितीय वर्ष की ठेका राशि कार्यारम्भ तिथि के 11 वां माह समाप्त होने के पश्चात् किन्तु 12 वां माह समाप्ति होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2026 है तो द्वितीय वर्ष की राशि 1 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 के मध्य जमा करानी होगी।
7. यदि सफल बिडर द्वारा दोनों वर्ष की राशि अनुबन्ध के समय एक साथ एक मुश्त जमा करा दी जाती है तो दोनों वर्ष की कुल राशि पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
8. दीपावली पर्व पर नगर निगम द्वारा उक्त स्थल पर पटाखा बाजार लगाये जाने हेतु स्वीकृति दी जाती है। उक्त 15 दिवस की अवधि हेतु संबंधित संवेदक को पार्किंग स्थल रिक्त रखना होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष में 15 दिवस नगर निगम, उदयपुर/जिला प्रशासन/राजकीय कार्यक्रमों हेतु आवश्यकता होने पर संबंधित संवेदक को पार्किंग स्थल रिक्त रखना होगा। जिसका कोई भुगतान/मुआवजा निगम द्वारा संवेदक को नहीं दिया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved

9. यदि सफल बिडर द्वारा द्वितीय वर्ष की राशि निर्धारित तिथि अनुसार नही जमा कराई जाती है तो निगम द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगी:–

(क) पार्किंग स्थल को तत्काल प्रभाव से निर्धारित तिथि पश्चात् अधिग्रहित किया जाकर बिडर (संवेदक) की कार्य संपादन प्रतिभूति जब्त करते हुये ऐसे बिडर को निगम की समस्त निविदाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम तीन वर्ष के लिए विवर्जित (डिबार) कर दिया जाए।

अथवा

(ख) बिडर (संवेदक) को किश्त जमा कराने की तिथि का विस्तार प्रदान किया जाए किन्तु विस्तारित अवधि के लिए देय दिनांक से वास्तविक रुप से जमा दिनांक तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जाए।

उपरोक्त विकल्प क और ख का चयन आयुक्त नगर निगम द्वारा माननीय प्रशासक महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा तथा पूर्णतया माननीय प्रशासक महोदय एवं आयुक्त के विवेकाधीन होगा जिसे बिडर (संवेदक) को मान्य होगा।

10. सफल बिडर की स्वेच्छा से समय से पूर्व कार्य छोडने पर कोई जमा राशि नहीं लौटाई जायेगी।

11. जिस सफल बिडर के नाम पर कार्य स्वीकृत होगा वो ही पार्किंग शुल्क की राशि वसूली करने हेतु अधिकृत होगा। सफल बिडर द्वारा कर्मचारी रखे जाने पर उसके परिचय पत्र, मोबाइल नं. की सूचना राजस्व शाखा में प्रस्तुत करनी होगी।

12. नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद व सरकारी वाहनों को परिचय पत्र बताने पर शुल्क से मुक्त रखा जायेगा किन्तु मासिक पास में किसी प्रकार की छूट/रियायत देय नही होगी।

13. सफल बिडर की कोई शर्ते स्वीकार नही की जायेगी।

14. पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम का वैधानिक कर्तव्य होने के कारण आर्टिकल 243 (W) के अन्तर्गत आता हैं। अतः पार्किंग सुविधा की इस निविदा पर जी.एस.टी. लागू नही है यदि भविष्य में किसी संशोधन के फलस्वरुप जी.एस.टी. देय होता है तो निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

15. इस निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं नेगोसिएशन करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक/आयुक्त नगर निगम का रहेगा।

16. सफल बिडर को नगर निगम, जिला प्रशासन एवं यातायात विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।

17. सफल बिडर नगर निगम, द्वारा बताये गये स्थल पर ही पार्किंग करने हेतु अधिकृत होगा।

18. निम्नांकित परिस्थितियाँ यदि दस दिवस या अधिक की अवधि के लिए घटित हो जाती है तो दस दिवस से अधिक दिनों की समयावधि में आनुपातिक वृद्धि की जाएगी। दस दिवस से कम होने पर कोई वृद्धि नही की जाएगी।

(1) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उदयपुर शहर को बन्द रखे जाने पर।

(2) कानून व्यवस्था हेतु पार्किंग से सम्बधिंत थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लागू होने पर।

(3) सड़क सुधार या अन्य किसी कारण से पार्किंग स्थल तक वाहनों के पहुँचने का मार्ग अवरूद्ध होने पर मार्ग अवरूद्ध हो जाने की सूचना मार्ग अवरूद्ध होने के दिन ही देनी होगी तथा राजस्व निरीक्षक व सम्बधिंत वार्ड के अभियन्ता के द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने पर तथा पार्किंग तक पहुंचने के सभी मार्ग बन्द हो जाने पर ही अवधि विस्तार किया जाएगा। यदि पार्किंग स्थल तक पहुंचने की वैकल्पिक मार्ग खुले उपलब्ध होगे तो अवधि विस्तार नही किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved

19. संवेदक को पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु नगर निगम द्वारा निर्धारित क्वालिटी की पोस मशीन उपलब्ध करवाई जायेगी जिसका शुल्क अमानत के तौर पर निगम में जमा प्रतिभूति राशि में समायोजित माना जायेगा, मशीन संचालित अवस्था में पुनः लौटाने पर ही प्रतिभूति राशि लौटायी जायेगी अन्यथा प्रतिभूति राशि में से आवश्यक कटौती की जा सकेगी। उक्त मशीन के आधार पर तय दर अनुसार वसूली किया जाना अनिवार्य होगा तथा पोस मशीन संबंधित रोल इत्यादि का शुल्क संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा। पोस मशीन खराब होने पर सही करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

अथवा

निविदा स्वीकृति के पश्चात् नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क की रसीद बुक निगम स्तर पर तैयार करवायी जाकर निगम द्वारा ठेकेदार को दी जावेगी। रसीद प्रिन्टिंग का व्यय संवेदक को नगर निगम में अलग से जमा कराना होगा। नगर निगम द्वारा प्रदत रसीदो को ही ठेकेदार द्वारा वाहन मालिको को दिया जावेगा तथा ठेकेदार को रसीदो का उचित रूप से रिकॉर्ड संधारित करना होगा।

20. निविदा अवधि के दौरान पार्किंग परिसर की सफाई व्यवस्था संवेदक को स्वयं के स्तर पर आवश्यक रूप से करनी होगी।

21. निम्नलिखित परिस्थितियों में सफल बिडर के विरूद्ध प्रति अवहेलना पर 20,000/- रूपये की शास्ति राशि अधिरोपित की जावेगी:-

- नगर निगम द्वारा जारी पोस मशीन अथवा रसीद बुक के अतिरिक्त अन्य रसीद ठेकेदार देता हुआ पाया जाता है अथवा नगर निगम के राजस्व निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जांच के दौरान अवहेलना पाये जाने पर।
- अव्यवस्थित पार्किंग व निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होने व जाँच उपरान्त उपरोक्त अनियमितता पाए जाने पर।
- निगम द्वारा निर्धारित दरो की सूचना मौके पर सफल बिडर द्वारा सहज दृश्य स्थानों पर अनिवार्य रूप से न्यूनतम दो जगहों पर बडे-बड़े अक्षरों में लिखकर प्रदर्शित करनी होगी अन्यथा प्रति अवहेलना पर 20,000/- रूपये शास्ति वसूल की जावेगी।
- निगम द्वारा निर्धारित वाहन पार्किंग क्षेत्र में ठेले, केबिन आदि लगे या खड़े पाये जाने की स्थिति में प्रति अवहेलना पर 20,000/- शास्ति राशि वसूल की जावेगी।

22. सफल बिडर को दिशा निर्देशों की पालना हेतु नगर निगम के पक्ष में संविदा हेतु 500/-रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

23. एक वर्ष मे 3 से अधिक शास्तियां आरोपित हो जाने अथवा संवेदक द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर सफल बिडर को 24 घण्टे का नोटिस दिया जाकर उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए कार्यादेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी जिसका अन्तिम निर्णय प्रशासक/आयुक्त नगर निगम, उदयपुर द्वारा किया जायेगा जो सफल बिडर को स्वीकार करना होगा।

24. केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्धारित/आरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर आदि लागू होने की अवस्था में सफल बिडर द्वारा वहन किया जायेगा।

25. सफल बिडर द्वारा पार्किंग हेतु चयनित स्थान के बाहर खडे वाहनो को यातायात पुलिस विभाग द्वारा जब्त करने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

26. सफल बिडर को स्वीकृत बोली राशि (प्रथम वर्ष + द्वितीय वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ) का 10 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में नगद/बैंक प्रतिभूति के रूप में आयुक्त नगर निगम के नाम जमा करनी होगी। यह राशि संतोषप्रद ठेका अवधि समाप्ति के बाद तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा कुछ बकाया नही प्रमाणित करने के बाद नियमानुसार लौटाई जायेगी।

27. सफल बिडर द्वारा पार्किंग स्थल पर नियुक्त कर्मचारी को संवेदक द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड एवं आईडी कार्ड उपलब्ध करवाना होगा। पार्किंग के लिये नियुक्त कर्मचारी द्वारा आमजन के साथ शालीन व भद्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। अभद्र व्यवहार/निर्धारित ड्रेसकोड की पालना नहीं होने/सफल बिडर द्वारा जारी आईडी कार्ड नहीं पहने पाये जाने पर 500/- रुपये की शास्ति प्रति शिकायत सफल बिडर की [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved

28. पार्किंग स्थल संबंधी समस्त विद्युत खर्च का भुगतान सफल बिडर द्वारा किया जायेगा। सफल बिडर द्वारा विद्युत खर्च संबंधी बिल नियमित रूप से भरे जायेंगे विद्युत बिल समय पर जमा नही करवाने पर पेनेल्टी आदि की समस्त जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी।

29. कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी कारणवश सफल बिडर द्वारा कार्य बीच में ही छोड दिये जाने अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर सफल बिडर की कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर संबंधित पार्किंग स्थल की निविदा प्रक्रिया से अधिकतम अगले 3 वर्ष हेतु विवर्जित/डिबार कर दिया जायेगा।

30. अधिक जानकारी वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in, https://www.udaipurmc.org पर या कार्य दिवस के दौरान राजस्व शाखा (कमरा नं.–71) नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।

31. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि</u> :–(Period Of Validity Of Bid) 90 (नब्बे) दिन होगी। बोली लगाने वालो से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति वितपिमज नहीं की जा सकती। (नियम 48)

32. <u>विलम्ब से प्राप्त बोलियां</u> :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिंये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।

33. <u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार</u> :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

34. **करार का निष्पादन :–**

(1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र (LOA) या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी

या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) सफल बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

(5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का सम्पूर्ण व्यय सफल बिडर द्वारा वहन किया जाएगा।

35. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule1971

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved

36. Additional Conditions of Contract
Correction of arithmetical errors

a. Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the highest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

37. **जुर्माना :–**

(क) वितीय बोलियो के सुनने के पश्चात् उपापन प्रकिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला बोली घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनो में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैद्य आधारो के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजो या संविदा में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (Debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रकिया में भाग लेने योग्य नही होगा।

35. जिन बिन्दूओं के लिये निविदा में कुछ भी नहीं कहा गया है उस हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिशिष्ट) XI लागू होगे।

39. सफल बिडर के किसी व्यवहार व कृत्य की जिम्मेदारी नगर निगम की नही है एवं सफल बिडर द्वारा रखे गये किसी भी कर्मचारी के किसी व्यवहार व भुगतान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नही है।

40. बिडर स्वयं पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर संतुष्ट हो जावें तथा निगम में पार्किंग स्थलों हेतु निर्धारित स्थानों के नक्शे का अवलोकन कर ले। बिडर के संबंध में यह माना जाएगा की उसने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर वाहनों की पार्किंग क्षमता, प्रवेश निकास द्वार, विद्युत सुविधा आदि का निरीक्षण कर संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा में भाग लिया है अतः भविष्य में पार्किंग स्थलों के संबंध में कोई शिकायत स्वीकार्य नही होगी।

41. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र उदयपुर होगा।

अभिषेक खन्ना (IAS)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 2?:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18787972

Annexure 'A'

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner, Municipal corporation Udaipur

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.13 2?:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18787972

Annexure 'B'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ,.......................... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:
Designation:
Address:

Signature of bidder
Name :

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner
Municipal corporation Udaipur

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18787972

Annexure 'C'

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director, local Self Govt. Jaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretry, Local Self Govt. Jaipur (Raj.)

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only vby a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.13 2[illegible]:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18787972

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) perusal or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 2?:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18787972

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):

   (i)
   (ii)
   (i)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ....

   ....

   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer:..

   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18787972

Annexure 'D'

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the followingbasis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

Signature valid
Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation: Commissioner
Date: 2025.11.13 2?:05:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18787972

वाहन पार्किंग हेतु निविदा प्रपत्र

(निविदादाता को आवश्यक रूप से भरना होगा)

निविदादाता का नाम एवं पता ....

फोन/मो.नं. .... पहचान पत्र ....

पेन नं. .... ई–मेल ....

जी.एस.टी. नं. ....

कार्य का विवरण	वार्षिक दर
लवकुश स्टेडियम के पास पार्किंग	उक्त कार्य हेतु हमारी दर राशि .... (अंको में) .... (शब्दो में) वार्षिक रहेगी।

हमारे द्वारा नगर निगम की निविदा में दी गई समस्त शर्ते पढ ली गई है तथा मैं/हम उक्त शर्तो से सहमत है। साथ ही हम नगर निगम कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत रहेगें, जिस पर मेरे द्वारा कोई उजर/एतराज नहीं किया जावेगा।

1. **हस्ताक्षर**
2. **निविदादाता का नामः–**
3. **पताः–**
4. **मो.:–**

Signature valid

Digitally signed by Abhishek Khanna
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.13 21:05:16 IST
Reason: Approved